AND REPORTED TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY O



F-07-08 F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.

वर्ग अनुमोदन सं.∴ 736 का संशोधन सहित नवीकरण Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 736

BENGALURU - 560 037

विषय/Sub:- एल्यूमिनियम अलॉय एचई20ए-(एक्सट्रूडेड बार्स) Aluminium Alloy HE20A (Extruded Bars)

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स ऑर्डिनेन्स फैक्टरी, अंबाझरी, नागपूर - 440 021 द्वारा विकसित और उत्पादित " एल्यूमिनियम अलॉय एचई 20ए (एक्सट्रूडेड बार्स)" को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-736, दिनांक 23 मार्च 1995, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.736 जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-736/4आर, दिनांक जुलाई, 2011 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2016 तक था।

This is to state that the "Aluminium Alloy HE20A (Extruded Bars)" developed and manufactured by M/s. Ordnance Factory, Ambajhari, Nagpur – 440 021 was issued with Type Approval No.: 736, vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-736, Dated: 23rd March 1995 and subsequently Renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-736/4R, Dated: July, 2011 with validity up to 30th June 2016.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अक्टूबर 2016 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 30 सितम्बर 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (एफ एंड एफ-एफ ओ एल), सेमिलैक, डीआरडीओ, द्वारा एचएएल (एफ एंड एफ) प्रभाग, बेंगलूरु – 560 017, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f Olst October 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th September 2021 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (F&F – FOL), CEMILAC, DRDO, C/o. HAL, (F&F) Division, Bengaluru – 560 017, Three (03) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

पृष्ठ/Page 01 of 02

ਧੂਬ/Page 02 of 02 ਟੀ ए सं./TA No. 736 F-07-08 F-07-11

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-736, दिनांक 23 मार्च 1995 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद 5 में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा।

The Para 5 of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-736, Dated: 23^{rd} March 1995 is **amended** as stated herewith.

"[अगर इस संलग्न टाइप रिकोर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है]"।

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]".

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered and are fully applicable.

सं. / No. : समिलैक / CEMILAC/5070/टी.ए/TA-736/5R

दिनांक / Date : 17 October 2016

फैक्स सं. / Fax No: 080-25230856

ami Shelle

पी जयपाल / **P.JAYAPAL** मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता) Chief Executive (Airworthiness)